

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/57

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 RTA . प्रार्थना पत्र	35/2024	20/2/2024	1/5/24 D.A.	19/3/2024

अनवान

श्री नाथु S/O गोपी प्रीता

श्री गोपाल चाल S/O प्रभूलाल बसाई

निवासी सलाकटिया तह. बिजौलिया

निवासी बेरिसाल तह. बिजौलिया वर्ग (7)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुकेश कुमार धाडस

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

नाम

वनाम

गोपाल लाल

किस मुकदमा

11-128

नम्बर

35

/2024

जारी
दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

02/2024

प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हैं। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18.03./2024 को पेश हो।

Bg

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां

8/3/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. चा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 14/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

gc
उपखण्ड अधिकारी

24/4/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. चा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

gc
उपखण्ड अधिकारी

23/4/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्सी उपस्थित / विपक्षीयों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विपक्षीयों के सिद्ध छ पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किए गए। पत्रावली मजाम्मा दिनांक 01/05/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला-भीलवाड़ा
11/05/24

01/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्सी उपस्थित / पत्रावली में आदेश जारी किए गए, जिसे शामिल पत्रावली किए। पत्रावली फंस्टल शुमार होकर नम्बर से कम होकर पोखिल 5425 हो।

gc
उपखण्ड अधिकारी

विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 35/24

तारीख दायर 20/2/24

नाथु पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थी

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र प्रभुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र भगवानलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. प्रभु पुत्र भैरू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. उदा पुत्र रामा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बंशीलाल पुत्र छगना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. धापु पत्नि मोडा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लक्ष्मण पुत्र भीमा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 01/5/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 105/2 रकबा 0.6394 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106/2 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8822 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 158 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 105/2 रकबा 0.6394 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106/2 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8822 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 158 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि की बशामलाल पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 35/24

तारीख दायर 20/2/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 35 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

नाथु पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थी

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र प्रभुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र भगवानलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. प्रभु पुत्र भैरू जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. उदा पुत्र रामा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. वंशीलाल पुत्र छगना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. धापु पत्नि मोडा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लक्ष्मण पुत्र भीमा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 105/2 रकबा 0.6394 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106/2 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8822 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 158 पर अंकित भूमि आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिशनर नियुक्त किया जाता हैं एवं कमिशनर फीस ~~रु०~~ ^{रु०} रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा